न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

प्रार्थना पत्र संख्या	[illegible] अधिकारी – [illegible] (आर.यू.एस.)	
187 / 2023	[illegible] दिनांक	निर्णय दिनांक
	[illegible]	[illegible]

[illegible]

1 मुरारीलाल पुत्र हजारीलाल जाति माली
2 रामेश्वरसिंह पुत्र हजारीलाल जाति माली निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

प्रार्थीगण।

बनाम

1 अमीलाल
2. चुन्नीलाल पुत्रान रामपत जाति माली निवासी निवासी ग्राम प्रतापसिहपुरा तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।
1. धर्मवीर
कर्मवीर पुत्रान ख्यालीराम पुत्र सांवलराम जातियान माली निवासीयान ग्राम प्रतापसिहपुरा तह0 नीमराना।
प्रेम पुत्री ख्यालीराम पुत्र सांवलराम जाति माली निवासी ग्राम प्रतापसिहपुरा तह0 नीमराना।
लाली देवी पत्नी ख्यालीराम पुत्र सांवलराम जाति माली निवासी ग्राम प्रतापसिहपुरा तह0 नीमराना।
उम्मेदीलाल पुत्र सांवलराम जातियान माली निवासी ग्राम प्रतापसिहपुरा तह0 नीमराना।
उपपंजीयक नीमराना।
भूमिधारी तहसीलदार नीमराना।

अप्रार्थीगण।

(दावा अन्तर्गत धारा 53 88,89,188)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

–::निर्णय::–

ली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

प्रार्थीगण / वादीगण ने दावा पेशकर उसके साथ प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर हाल 944 रकबा 0.19 है0, 945 रकबा 0. 17 है0, 952 रकबा 0.17 है0, 953 रकबा 0.15 है0, 954 रकबा 0.44 है0, 955 रकबा 0.11 है0, 956 रकबा 0.20 है0, 957 रकबा 0.14 है0, 958 रकबा 0.54 है0, 959 रकबा 0.57 है0,927 रकबा 0.17 है0, 928 रकबा 0.19 है0, 938 रकबा 0.15 है0, 941 रकबा 0.11 है0, 942 रकबा 0.08 है0, 943 रकबा 0.05 है0, 946 रकबा 0.36 है0, 947 रकबा 0.40 है0, 948 रकबा 0.17 है0, 949 रकबा 0.08 है0, 950 रकबा 0.23 है0, 951 रकबा 0.04 है0, 983 रकबा 0.38 है0 923 रकबा 0.20 है0, 926 रकबा 0.20 है0, 937 रकबा 0.20 है0, 939 रकबा 0.10 है0, 940 रकबा 0. 10 है० वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह० नीमराना मे स्थित है। जिसे आगे चलकर वाद पत्र मे आराजी मुतनाजा से सम्बोधित किया जावेगा।

2. आराजी मुतनाजा में 1612 हिस्से की खातेदारी हम वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादनीगण के पिता हजारीलाल पुत्र रामपत के नाम दर्ज रिकार्ड है हम वादीगण के पिता हजारीलाल जी की मृत्यु हो गयी है जिनके विधिक वारिसान हम वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण है सजरा वाद मे दर्ज है।

3. उपरोक्त सजरा के मुताविक मृतक हजारीलाल के हम विधिक वारिसान है इसलिए आराजी मुतनाजा मे हम वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादनीगण प्रत्येक हिस्सा–1 / 84 के मालिक काविज है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं० 1 लगा. 5 के बुजूर्ग सांवलराम पुत्र रामपत के नाम से हिस्सा–1 / 12 दर्ज है उक्त सांवलराम की भी मृत्यु हो गयी है जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादीसं० 1 लगा० 5 है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपतली–बहरोड़)

4. आराजी मुतनाजा का मौके पर बुजूर्गो द्वारा बाहमी बंटवारा किया जाकर काविज काश्त करते रहे तथा बाहमी बंटवारा के मुताबिक सभी अपने अपने हिस्से पर काविज है और मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक कुछ लोगो द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार मकानात का भी निर्माण कर लिया गया है। लेकिन जो निर्माण किया गया है वो आपस मे एक दुसरे के हिस्से मे आने जाने का रास्ता छोडकर किया गया है।

5. अब प्रतिवादी सं० 1 लगा. 7 के मन मे बेईमानी आ गयी है जो आराजी खसरा नम्बर 923 पर रास्ता से लगता सम्पूर्ण भाग पर जबरन कब्जा कर पक्का निर्माण करना चाहते है एवं पीछे हमारा हिस्सा छोड रहे है जिसमे आने जाने का रास्ता भी नहीं छोड रहे है। जिस बाबत प्रतिवादीगण को कहा गया कि आप आगे के सम्पूर्ण भाग पर निर्माण कर रहे है पीछे जाने का का रास्ता छोडकर निर्माण करो तो प्रतिवादीगण नही मान रहे काफी समझाया जा जा चुका है और दिनांक 07.06.2023 को भी हम वादीगण द्वारा गांव व परिवार के मौजिज लोगो को एकत्रित किया तो लोगो ने भी प्रतिवादीगण को काफी समझाया लेकिन ये लोग किसी के कहने की नही मान है। इसलिए हम वादीगण द्वारा यह दावा इस्तकरार हक तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. आराजी मुतनाजा का मौके पर बुजूर्गो के समय से बाहमी बंटवारा किया हुआ है इसलिए हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को हमारे पिता से प्राप्त हिस्से पर मौके पर काबिज है। लेकिन प्रतिवादी सं० 1 लगा० 7 द्वारा जबरन रूप से हम वादीगण के हिस्से मे आने जाने के रास्ता मे पक्का निर्माण कर रास्ता को बन्द करना चाहते है। इसलिए अब आराजी मुतनाता सामूहिक मे काश्त किया जाना सम्भव नही होने के कारण हम वादीगण आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से का तकासामा करवाकर अलग खाताबन्दी करवाने के अधिकारी है।

7. प्रतिवादी सं० 1 लगा. 7 के दिमांग मे बदयान्ती आयी हुई है जो उक्त खसरा नम्बर का रास्ता से लगता भाग पर जबरन कब्जा कर उसमे पक्का पक्का निर्माण पीछे के हिस्सो मे आने जाने का रास्ता बन्द करना चाहते है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने नींव खोद दी है और रातो–रात निर्माण करने की फिराक मे है। अगर प्रतिवादीगण अपने इस कुण्ठित इरादे मे कामयाब हो गये तो हम वादीगण को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा व अपने जायज हक हकूको से वंचित रहना पडेंगा तथा बहुवादिता बढेगी ऐसी सूरत मे प्रतिवादीगण को इस आशय की हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो जब तक खसरा नम्बर हाल 944 रकबा 0.19 है0, 945 रकबा 0.17 है0, 952 रकबा 0.17 है0, 953 रकबा 0.15 है0, 954 रकबा 0.44 है0, 955 रकबा 0.11 है0, 956 रकबा 0.20 है0, 957 रकबा 0.14 है0, 958 रकबा 0.54 है0, 959 रकबा 0.57 है0.927 रकबा 0.17 है0, 928 रकबा 0.19 है0, 938 रकबा 0.15 है0, 941 रकबा 0.11 है0, 942 रकबा 0.08 है0, 943 रकबा 0.05 है0, 946 रकबा 0.36 है0, 947 रकबा 0.40 है0, 948 रकबा 0.17 है0, 949 रकबा 0.08 है0, 950 रकबा 0.23 है0, 951 रकबा 0.04 है0, 983 रकबा 0.38 है0 923 रकबा 0.20 है0, 926 रकबा 0.20 है०, 937 रकबा 0.20 है0, 939 रकबा 0.10 है0, 940 रकबा 0.10 है० वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह० नीमराना का मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक सभी के हिस्से मे रास्ता कायम करते हुऐ तहसीलदार नीमराना की कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर विधिवत रूप से तकासामा होकर अलग अलग खाताबन्दी नही हो जावे तब तक उक्त खसरा नम्बर के किसी भी विशेष भू–भाग व खसरा नम्बर पर जबरन कब्जा कर उसमे किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा ना ही किसी भाग को अपना बताकर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करे व ना ही आराजी मुतनाजा मे हम वादीगण को मेरे खातेदारी हिस्से की भूमि पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने मे स्वंय व अपने परिवार के सदस्यो, ऐजेन्टान नौकरान द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत बाजी पैदा नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे तथा आराजी मुतनाजा की बाबत हर मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीबद्ध उप पंजीयक नीमराना करता है इसलिए उप पंजीयक नीमराना को पाबन्द किया जावे कि वो उनके समक्ष आराजी मुतनाजा की बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी मुन्तकिली

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

दस्तावेज पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीबद्ध नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे। बाज आवे।

प्रथम दृष्टा प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे बखूबी साबित पाया जाता है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल दावा पाबन्द किया जावे कि वो जब तक खसरा नम्बर हाल 944 रकबा 0.19 है0, 945 रकबा 0.17 है0, 952 रकबा 0.17 है0, 953 रकबा 0.15 है0, 954 रकबा 0.44 है0, 955 रकबा 0.11 है0, 956 रकबा 0.20 है0, 957 रकबा 0.14 है0, 958 रकबा 0.54 है०, 959 रकबा 0.57 है0,927 रकबा 0.17 है0, 928 रकबा 0.19 है0, 938 रकबा 0. 15 है0, 941 रकबा 0.11 है0, 942 रकबा 0.08 है0, 943 रकबा 0.05 है0, 946 रकबा 0.36 है0, 947 रकबा 0.40 है0, 948 रकबा 0.17 है0, 949 रकबा 0.08 है०, 950 रकबा 0.23 है0, 951 रकबा 0.04 है0, 983 रकबा 0.38 है0 923 रकबा 0. 20 है0, 926 रकबा 0.20 है0, 937 रकबा 0.20 है0, 939 रकबा 0.10 है0, 940 रकबा 0.10 है० वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह० नीमराना का मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक सभी के हिस्से मे रास्ता कायम करते हुऐ तहसीलदार नीमराना की कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर विधिवत रूप से तकासामा होकर अलग अलग खाताबन्दी नही हो जावे तब तक उक्त खसरा नम्बर के किसी भी विशेष भू–भाग व खसरा नम्बर पर जबरन कब्जा कर उसमे किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा ना ही किसी भाग को अपना बताकर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करे व ना ही आराजी मुतनाजा मे हम वादीगण को मेरे खातेदारी हिस्से की भूमि पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने मे स्वंय व अपने परिवार के सदस्यो, ऐजेन्टान नौकरान द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत बाजी पैदा नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे तथा आराजी मुतनाजा की बाबत हर मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीबद्ध उप पंजीयक नीमराना करता है इसलिए उप पंजीयक नीमराना को पाबन्द किया जावे कि वो उनके समक्ष आराजी मुतनाजा की बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी मुन्तकिली दस्तावेज पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीबद्ध नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनायी रखे।

10. प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक:–12.06.2023 को अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि दिनांक 17.07.2023 तक उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखें इस संबंध में जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर अपना पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तामील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि वादीगण का वाद प्रार्थना पत्र धारा 212 गलत है स्वीकार नही है राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से पर सयुक्त रूप से काबिज है प्रार्थीगण ने आवश्यकतानुसार मकानात का निर्माण किया जाना अंकित किया है जिस सूरत मे मकानात का विभाजन का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है क्षेत्राधिकार के अभाव मे प्रर्थना पत्र काबिल खारिज है। जब आराजी का विधिक रूप से बंटवारा ही नही हुआ था तो प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार को निर्माण करने का अधिकार नही था प्रार्थीगण ने वास्तविकता को छुपाते हुए अच्छी से अच्छी आरजी का हथियाने की योजना से झुठा मुकदमा किया है इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज है। कोई भी सहखातेदार किसी भी पोर्सशन पर कब्जा कर निमार्ण नही कर सकता प्रार्थीगण योजनावद्व तरीके से विवादित आराजी के अच्छे से अच्छे भाग को हडप ना चाहता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। की ओर से श्री पीताम्बर एड0 का वकालतनामा पेश हुआ वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश न कर सीधे ही बहस हेतु आग्रह किया।

11. जवाब प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी सं0 2075–78 के अवलोकन से साबित है कि

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी मे दर्ज है। कानूनन किसी भी सहखातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों के उपभोग उपयोग हेतु पाबंद नही किया जा सकता। चूंकि हक हकूकों का निर्णय मूलवाद में साक्ष्य सबूत लेकर ही किया जावेगा वर्तमान स्टेज पर केवल प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का संतुलन, नापूर्ति क्षति के संदर्भ में भी देखा जाना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है तथा ना ही प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन है एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का अंदेशा भी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है। प्रार्थना काबिल खारिज है।

12. अतः आदेश है किः—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 बाबत खसरा नम्बर हाल 944 रकबा 0.19 है0, 945 रकबा 0.17 है0, 952 रकबा 0.17 है0, 953 रकबा 0.15 है0, 954 रकबा 0.44 है0, 955 रकबा 0.11 है0, 956 रकबा 0.20 है0, 957 रकबा 0.14 है0, 958 रकबा 0.54 है०, 959 रकबा 0.57 है0,927 रकबा 0.17 है0, 928 रकबा 0.19 है0, 938 रकबा 0. 15 है0, 941 रकबा 0.11 है0, 942 रकबा 0.08 है0, 943 रकबा 0.05 है0, 946 रकबा 0.36 है0, 947 रकबा 0.40 है0, 948 रकबा 0.17 है0, 949 रकबा 0.08 है०, 950 रकबा 0.23 है0, 951 रकबा 0.04 है0, 983 रकबा 0.38 है0 923 रकबा 0. 20 है0, 926 रकबा 0.20 है0, 937 रकबा 0.20 है0, 939 रकबा 0.10 है0, 940 रकबा 0.10 है० वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह० नीमराना सार हीन होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी टी.आई. आदेश दिनांक 12.06.2023 को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना